न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या – 15/2018

निर्णय दिनांक– 08.02.2019

उनवान

1.बदी पुत्र गोविन्दराम जाति ब्राहम्ण निवासी बनेठा तहसील उनियारा जिला टोंक
2.सुरेश चन्द पुत्र रामेश्वर जाति ब्राहम्ण निवासी बनेठा तहसील उनियारा जिला टोंक
3.रमेश चन्द पुत्र रामेश्वर जाति ब्राहम्ण निवासी बनेठा तहसील उनियारा जिला टोंक
4.भंवरी देवी पुत्री रामेश्वर जाति ब्राहम्ण निवासी बनेठा तहसील उनियारा जिला टोंक
5.उषा देवी पुत्री रामेश्वर जाति ब्राहम्ण निवासी बनेठा तहसील उनियारा जिला टोंक
6.पाना देवी पत्नी रामेश्वर जाति ब्राहम्ण निवासी बनेठा तहसील उनियारा जिला टोंक

–वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक राज0
2. तहसीलदार उनियारा जिला टोंक राज0

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उदघोषणा,दुरूस्ती इन्द्राजात

उपस्थित– 1. श्री महेश कासलीवाल वकील वादीगण
2. पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है:–

यह है कि वादीगण के पूर्वज गोविन्दराम शर्मा पुत्र गणेश शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी बनेठा तहसील उनियारा को दिनांक 21.07.1972 को आयोजित भूमि अलाटमेन्ट केम्प ककोड मे साबिक खसरा नम्बर 3136 रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा भूमि वाके ग्राम बनेठा तहसील उनियारा मे आवंटित की गई थी। तब से ही उक्त भूमि पर आवंटी का व उनकी मृत्युपरान्त वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। आवंटन के पश्चात उनियारा तहसील क्षैत्र मे भू मापन का कार्य सम्पादित किया गया था, जिसमे उक्त आराजी के खसरा नम्बर 4383 रकबा 1.34, ख0न0 4444 रकबा 2.71, ख0न0 4385 रकबा 0.40, ख0न0 4386 रकबा______, ख0न0 4389 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम बनेठा तह. उनियारा बनाये गये है। आवंटन के पश्चात भू मापन कार्य प्रारम्भ कर दिये जाने के कारण वादीगण के पक्ष मे गेर खातेदारी का नामान्तरकरण नही खोला जा सका। सेटलमेन्ट विभाग को वादीगण के पूर्वज को आवंटित आराजी साबिक ख0न0 3136 रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा से बने हाल ख0न0 4383 रकबा 1.34, ख0न0 4444 रकबा 2.71, ख0न0 4385 रकबा 0.40, ख0न0 4386 रकबा , ख0न0 4389 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम बनेठा मे से आवंटित भूमि के समकक्ष रकबे का गेर खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किया जाना चाहिये था, लेकिन भू प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त खसरा नम्बरान को राजस्व रेकार्ड मे सिवायचक दर्ज कर दिया। जिसका उन्हे कोई हक व अधिकार नही था। उक्त आराजी सिवायचक दर्ज कर दिये जाने से प्रतिवादीगण के मातहत कर्मचारी हल्का पटवारी द्वारा आये दिन वादीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने, 91 की कार्यवाही करने व जुर्माना वसूलने एवं कारावास भिजवाने की धमकिया

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

दी जा रही है। वादग्रस्त आराजीयात का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना व इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जाना आवश्यक है।

यह है कि वादीगण की अधियाचना है कि वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री सादिर फरमाया जावे। वादग्रस्त आराजी साविक ख0न0 3136 रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा से बने हाल ख0न0 4383 रकबा 1.34, ख0न0 4444 रकबा 2.71, ख0न0 4385 रकबा 0.40, ख0न0 4386 रकबा , ख0न0 4389 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम बनेठा तहसील उनियारा मे से वादीगण को साबिक रकबा के समकक्ष का खातेदार काश्तकार घोषित घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार से मजाहमत व मदाखलत नही करे।

उक्त वाद प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिस्ते ली जाकर दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें सम्मन तलब किया गया ।

प्रतिवादीगण की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा द्वारा दिनांक 25.01.2019 को जवाब दावा पेश किया गया कि वादी को ग्राम बनेठा मे भूमि आवंटित होने बाबत आवंटन दस्तावेजों से सिद्व करने का भार वादी पर है। वाद पत्र मे अंकित आवंटित खसरा नम्बर अनुसार 3136 रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा है, जिसके मिलान क्षैत्रफल से वर्तमान नये नम्बर 4383 रकबा 1.34 है0 4444 रकबा 2.71 है0, 4385 रकबा 0.40 है0 बने है। जिसके बाद बनेठा ग्राम मे से नवीन राजस्व ग्राम मीणों की झोपडियां बनने पर उक्त सेटलमेन्ट के पश्चात नवीन नम्बरान के पुनः नवीन नम्बरान इस प्रकार बने 4383 के 3407, 4443 के 3467, 4444 के 3468 बने। हाल सर्वे नम्बर अनुसार 3407 रकबा 1.34 व 3468 रकबा 2.71 बिलानाम सिवायचक दर्ज रेकार्ड है। जिसमे से 3468 रकबा 2.71 है. व 3407 रकबा 1.34 है0 मे से 0.75 है. पर वादीगण सुरेश रमेश पि0 रामेश्वर, बद्री पिता गोविन्दा जाति ब्रा0 निवासी बनेठा का कब्जा है। ख0न0 3467 रकबा 0.98 है0 चरागाह दर्ज है। उक्त वाद मे यदि भूमि आवंटित हुई है तो सिद्व स्वयं वादी करे। सेटलमेन्ट के पश्चात भूमि सिवायचक बिला लगानी दर्ज है। जिस पर पटवारी के मौका पर्चा की रिपोर्ट अनुसार कब्जा है। उक्त भूमि बनेठा क्षैत्र मे होने से कमाण्ड क्षैत्र की है। जिसमे भूमि की कीमत जमा होने का प्रावधान है जिससे राजहित प्रभावित है।

जवाब दावे उपरान्त वाद मे निम्न तनकियात कायम की गईः–

1– आया वादीगण साबिक आराजी ख0न0 3136 रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम बनेठा तहसील उनियारा से बने हाल ख0न0 4383 रकबा 1.34, ख0न0 4444 रकबा 2.71, ख0न0 4385 रकबा 0.40, ख0न0 4386 रकबा........, ख0न0 4389 रकबा 0.25 मे से साबिक रकबे के समकक्ष खातेदारी प्राप्त करने तथा राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करवाने तथा प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी पाबन्द करवाने के मश्तहक है?

–वादीगण

2–आया वाद पत्र मे अंकित आवंटित ख0न0 अनुसार 3136 रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा जिसके मिलान क्षैत्रफल से वर्तमान नये नम्बर 4383 रकबा 1.34, ख0न0 4444 रकबा 2.71, ख0न0 4385 रकबा 0.40 है0 बने है, जिसके बाद बनेठा ग्राम मे से नवीन राजस्व ग्राम मीणों की झोपडियां बनने पर उक्त सेटलमेन्ट के पश्चात नवीन नम्बरान के पुनः नम्बर 4383 के 3407, 4443 के 3467, 4444 के 3468 बने है ?

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

–वादीगण

3.आया वादग्रस्त भूमि बनेठा क्षैत्र मे होने से कमाण्ड क्षैत्र की है, जिसमे भूमि की कीमत जमा होने का प्रावधान है, जिससे राजहित प्रभावित है ?

–प्रतिवादीगण

4.दादरसी?

वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन मे निम्न दस्तावेजात नकल आवंटन आदेश दि. 21.7.72 प्रदर्श 1, शपथ पत्र प्रदर्श 2 , नोटिस प्रदर्श 3, रसीद रजिस्ट्री प्रदर्श 4 व 5, पावती रसीद प्रदर्श 6, जवाब जिला कलेक्टर प्रदर्श 7, नकल पी.14 सम्वत 2073–2074 प्रदर्श 8, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श 9, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श 10, नकल मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श 11, नकल जमाबन्दी सम्वत 2041 से 2060 प्रदर्श 12, नकल मिलान क्षेफल प्रदर्श 13, नकल जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 प्रदर्श 14 पेश किये है।

वादीगण ने अपने वाद के समर्थन मे गवाहान पी.डब्लू. 1 बद्रीलाल शर्मा, पी.डब्लू. 2 विजय शर्मा व ,पी0डब्लू0 3 सुलेमान के शपथ पत्र प्रस्तुत किये है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गयी। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली व उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । वाद पत्र मे कायमशुदा तनकियात पर न्यायालय का विवेचन निम्नवत है:–

तनकी न0 1:–तनकी न0 1 मे वादीगण को यह सिद्व करना है कि आया वादीगण साबिक आराजी ख0न0 3136 रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम बनेठा तहसील उनियारा से बने हाल ख0न0 4383 रकबा 1.34, ख0न0 4444 रकबा 2.71, ख0न0 4385 रकबा 0.40, ख0न0 4386 रकबा........, ख0न0 4389 रकबा 0.25 मे से साबिक रकबे के समकक्ष खातेदारी प्राप्त करने तथा राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करवाने तथा प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी पाबन्द करवाने के मुस्तहक है:–

नकल आवंटन आदेश दि. 21.7.72 प्रदर्श 1 के अनुसार अलाटमेन्ट कमेटी के द्वारा दिनांक 21.7.72 को आ0ख0न0 3136 मे से 13 बीघा 19 बिस्वा भूमि ग्राम बनेठा गोविन्द राम पुत्र गणेश राम ब्रा0 सा0 बनेठा को अलाट की गई है। प्रदर्श 11 मिलान क्षैत्रफल के अनुसार उक्त साबिक खसरा नम्बर से निम्न प्रकार हाल खसरा नम्बरान कायम हुये है।

साबिक		हाल	
ख0न0	रकबा	ख0न0	रकबा
3137 व 3136 मि.	–	4383	1.34
3136, 3137, 1331 मि.	2 बीघा 19 बिस्वा	4444	2.71
3136 मि.	13 बीघा 19 बिस्वा	4385	0.40

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

साबिक नक्शा ट्रेस प्रदर्श 9 व हाल नक्शा ट्रेस प्रदर्श 10 का ओवरलेप करने पर साबिक ख0न0 3136 से हाल ख0न0 4444, 4383, 4385 व 4386 बनना पाया जाता है। तहसीलदार उनियारा द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे के अनुसार आवंटित ख0न0 अनुसार 3136 रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा जिसके मिलान क्षैत्रफल से वर्तमान नये नम्बर 4383 रकबा 1.34, ख0न0 4444 रकबा 2.71, ख0न0 4385 रकबा 0.40 है0 बने है, जिसके बाद बनेठा ग्राम मे से नवीन राजस्व ग्राम मीणों की झोपडियां बनने पर उक्त सेटलमेन्ट के पश्चात नवीन नम्बरान के पुनः नम्बर 4383 के 3407, 4443 के 3467, 4444 के 3468 बने है। प्रदर्श 12 नकल जमाबन्दी सम्वत 2041–2060 वाके ग्राम बनेठा मे आराजी ख0न0 4383 रकबा 1.34, ख0न0 4385 रकबा 0.40 व 4444 रकबा 2.71 सिवायचक काबिल काश्त दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2074 वाके ग्राम बनेठा प्रदर्श 14 मे आराजी ख0न0 3407 रकबा 1.34, ख0न0 3468 रकबा 2.71 सिवायचक काबिल काश्त दर्ज है। प्रदर्श 8 नकल खसरा परिवर्तित निर्धारण सम्वत 2073–74 मे आराजी ख0न0 3468 रकबा 2.72 है0 पर सुरेश रमेश पि0 रामेश्वर ब्राहम्ण सा0 देह बद्री पुत्र गोविन्दराम शर्मा का कब्जा दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार उनियारा ने भी अपने जवाब दावे के पेरा 3 मे अंकित किया है कि ख0न0 3468 रकबा 2.71 है. व 3407 रकबा 1.34 है मे से 0.75 है0 पर वादीगण सुरेश, रमेश पि0 रामेश्वर व बद्री पिता गोविन्द जाति ब्राहम्ण नि0 बनेठा का कब्जा है। साक्ष्य वादीगण से भी वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त पाया जाता है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि साबिक आराजी ख0न0 3136 रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम बनेठा गोविन्द राम पुत्र गणेश राम ब्रा0 सा0 बनेठा को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटित की गई भूमि है। तहसीलदार उनियारा ने अपने जवाब दावे मे अंकित किया है कि उक्त भूमि बनेठा क्षैत्र मे होने से कमाण्ड क्षेत्र की है। जिसमे भूमि की कीमत जमा होने का प्रावधान है। जिससे राज हित प्रभावित है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि की कीमत भूमि जमा होने पर ही वादीगण वादग्रस्त भूमि साबिक ख0न0 के समकक्ष ख0न0 3468 रकबा 2.71 है. व 3407 रकबा 1.34 है मे से 0.75 है0 वाके ग्राम बनेठा की खातेदारी प्राप्त करने का मुश्त हक है। अतः इस तनकी का निर्णय वादीगण के पक्ष में किया जाता है।

तनकी न0 2:—तनकी न0 2 मे वादीगण को यह सिद्व करना है कि आया वाद पत्र मे अंकित आवंटित ख0न0 अनुसार 3136 रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा जिसके मिलान क्षैत्रफल से वर्तमान नये नम्बर 4383 रकबा 1.34, ख0न0 4444 रकबा 2.71, ख0न0 4385 रकबा 0.40 है0 बने है, जिसके बाद बनेठा ग्राम मे से नवीन राजस्व ग्राम मीणों की झोपडियां बनने पर उक्त सेटलमेन्ट के पश्चात नवीन नम्बरान के पुनः नम्बर 4383 के 3407, 4443 के 3467, 4444 के 3468 बने है ।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व जवाब तहसीलदार उनियारा से स्पष्ट है कि आवंटित ख0न0 अनुसार 3136 रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा जिसके मिलान क्षैत्रफल से वर्तमान नये नम्बर 4383 रकबा 1.34, ख0न0 4444 रकबा 2.71, ख0न0 4385 रकबा 0.40 है0 बने है, जिसके बाद बनेठा ग्राम मे से नवीन राजस्व ग्राम मीणों की झोपडियां बनने पर उक्त सेटलमेन्ट के पश्चात नवीन नम्बरान के पुनः नम्बर 4383 के 3407, 4443 के 3467, 4444 के 3468 बने है। अतः इस तनकी का निर्णय वादीगण के पक्ष मे किया जाता है।

तनकी न0 3:—तनकी न0 3 मे प्रतिवादीगण को यह सिद्व करना है कि आया वादग्रस्त भूमि बनेठा क्षैत्र मे होने से कमाण्ड क्षैत्र की है, जिसमे भूमि की कीमत जमा होने का प्रावधान है, जिससे राजहित प्रभावित है।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

ग्राम बनेठा कमाण्ड क्षेत्र मे होने से वादग्रस्त भूमि कमाण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत आती है। कमाण्ड क्षेत्र मे आवंटित भूमि की कीमत राजकोष मे जमा कराये जाने का प्रावधान है। अतः इस तनकी का निर्णय प्रतिवादीगण के पक्ष मे किया जाता है।

उपरोक्त तनकियात के निर्णय के प्रकाश मे वादीगण साविक आराजी ख0न0 3136 रकबा 13 वीघा 19 विस्वा से बने हाल ख0न0 3468 रकबा 2.71 है. व 3407 रकबा 1.34 है मे से 0.75 है0 वाके ग्राम बनेठा तहसील उनियारा की कीमत भूमि जमा कराये जाने के पश्चात खातेदारी प्राप्त करने अधिकारी है। इस प्रकार न्यायालय वादीगण के वाद को डिक्री किया जाना उचित समझता है। अतः वाद वहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। साबिक आराजी ख0न0 3136 रकबा 13 वीघा 19 विस्वा से बने हाल ख0न0 3468 रकबा 2.71 है. व 3407 रकबा 1.34 है मे से 0.75 है0 वाके ग्राम बनेठा तहसील उनियारा का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा आवंटन शुदा आराजी की कीमत भूमि जमा कराने के वाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड दुरूस्त करे । पर्चा डिक्री जारी हो । फरिकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 08.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कैलाश चन्द गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा
जिला टोंक (राज0)

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(डिकी मुकदमा इब्तदाई)

उनवान

1.बद्री पुत्र गोविन्दराम जाति ब्राहम्ण निवासी बनेठा तहसील उनियारा जिला टोंक
2.सुरेश चन्द पुत्र रामेश्वर जाति ब्राहम्ण निवासी बनेठा तहसील उनियारा जिला टोंक
3.रमेश चन्द पुत्र रामेश्वर जाति ब्राहम्ण निवासी बनेठा तहसील उनियारा जिला टोंक
4.भंवरी देवी पुत्री रामेश्वर जाति ब्राहम्ण निवासी बनेठा तहसील उनियारा जिला टोंक
5.उषा देवी पुत्री रामेश्वर जाति ब्राहम्ण निवासी बनेठा तहसील उनियारा जिला टोंक
6.पाना देवी पत्नी रामेश्वर जाति ब्राहम्ण निवासी बनेठा तहसील उनियारा जिला टोंक

—वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक राज0
2. तहसीलदार उनियारा जिला टोंक राज0

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत उदघोषणा,दुरूस्ती इन्द्राजात

मुकदमा नम्बर :— 15 वर्ष 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर0ए0एस0 ब हाजरी श्री महेश कासलीवाल वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दइ व तहसीलदार उनियारा मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि साबिक आराजी ख0न0 3136 रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा से बने हाल ख0न0 3468 रकबा 2.71 है. व 3407 रकबा 1:34 है मे से 0.75 है0 वाके ग्राम बनेठा तहसील उनियारा का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा आवंटन शुदा आराजी की कीमत भूमि जमा कराने के बाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड दुरूस्त करे । फरिकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08 माह 02 सन् 2019 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner